उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-5
संख्या-88/2022/939//2218938(1)/12-5002(099)/13/2022
लखनऊ::दिनांक 13 दिसम्बर, 2022

कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 03-कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान योजना के मानक मद 42-अन्य व्यय (भारित) में रू.4.50 लाख का पुनर्विनियोग स्वीकृत किया गया था, किन्तु Budget Allotment System पर उक्त स्वीकृत धनराशि त्रुटिवश मानक मद 42-अन्य व्यय (मतदेय) में फीड हो जाने के कारण पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-80/2022/616/2218938/2022/12-5002(099)/13/2022, दिनांक 25 अक्टूबर, 2022 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

शत्रुन्जय कुमार सिंह
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. - महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. - महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. - प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4. - कृषि निदेशक, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पुनर्विनियोग की धनराशि कोषागार से आहरण न होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. - मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. - वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
7. - सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
8. - वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
9. - गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शत्रुन्जय कुमार सिंह
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in